यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) के माह 12/2018 से 08/2020 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री एस०एस० राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 28.09.2020 से 06.10.2020 तक संपादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) के लेखा अभिलखों की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री अक्षय कुमार, श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.12.2018 से 26.12.2018 तक संपादित की गयी, जिसमे माह 11/2017 से 11/2018 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों का संप्रेक्षण किया गया था।

2).(i).इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) द्वारा जनपद हरिद्वार विकासखंड रूड़की, भगवानपुर, नारसन में अवस्थित नहरों का निर्माण एवं अनुरक्षण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा कुम्भ मेला के कार्य संपादित किए जाते हैं। कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) का कार्यक्षेत्र समस्त विकासखंड रूड़की, भगवानपुर, नारसन है।

ii). (अ).विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर-स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2018-19	**0.00**	**8.57**	**343.58**	**343.58**	**1026.318**	**1007.698**	**-**	**18.62**
2019-20	**0.00**	**18.62**	**9.55**	**9.36**	**1772.23**	**974.23**	**-**	**797.78**
2020-21(08/2020 तक)	**0.00**	**797.78**	**3.25**	**2.02**	**1662.62**	**712.19**	**-**	**-**

Iii कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) द्वारा जनपद हरिद्वार को प्रमुख अभियंता (बजट अनुभाग) सिचाई अनुभाग एवं डीसीएल जिलाधिकारी/कुम्भ मेला प्रशासन से प्राप्त होती है । प्रश्नगत इकाई संपादित कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों के आधार पर 'बी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)
6. अधीक्षण अभियन्ता
7. अधिशासी अभियन्ता
8. सहायक अभियन्ता

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा माह 12/2018 से 08/2020 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर तैयार की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। अधिकतम व्यय के आधार माह 03/2019 एवं 10/2019 को विस्तृत जांच हेतु तथा अधिकतम प्राप्ति के आधार पर 02/2019 एवं 10/2019 माह को विस्तृत जांच के लिए नमूना माह के रूप मे चयनित किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 15 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो "अ"</u>

प्रस्तर:-01 रुपये 846.69 लाख का व्यय होने के बावजूद भी योजना का लाभ लाभार्थियों न मिल पाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-01, संख्या-571/XXVII(1)/2010 देहरादून दिनांक 19/10/2010 के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों एवं विकास कार्यों की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाए जाने तथा परियोजना में अनावश्यक समय तथा Cost OverRun को दूर करने के उद्देश्य से परियोजना को दो चरणो में स्वीकृति ली जानी चाहिए। प्रथम चरण में प्रक्रियात्मक कार्यों जैसे आगणन बनाया जाना, भूमि अधिग्रहण शिफ्टिंग इत्यादि शामिल है। दूसरे चरण में रिपोर्ट एवं विस्तृत आगणन शामिल है साथ ही वित्तीय हस्तपुस्तिका (VI) के प्रस्तर 378 अनुसार " no work should be commenced in land which not duly been made over by the responsible civil officer".

जनपद हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर रूड़की नगर स्थित बसे निवासियों एवं किसानों के खेत कटाव से बचाव के लिए सोलनी नदी के दोनों तटों पर बसे गावों के साथ-साथ स्थानीय विधायक द्वारा भी जिला अधिकारी हरिद्वार को प्रस्ताव (2010-11)के माध्यम से तटबंध बनाए जाने की मांग की गयी। तत्पश्चात कार्यालय अधिशासी अभियंता सिचाई खंड हरिद्वार द्वारा आबादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु रीवर ट्रेनिग (तटबंध एवं स्टड निर्माण) कार्य किए जाने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (2012-13) बनाई गयी। दिनांक 21/05/2013 को अधिशासी अभियंता सिचाई खंड रूड़की, हरिद्वार से पृथक खंड बनाया गया और दिनांक 24/01/2014 को उत्तराखंड शासन द्वारा उक्त कार्य हेतु रुपये 3319.23 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य के सापेक्ष कार्यालय मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 31.03.2014 को रुपये 3319.49 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें निम्न दो कार्य कराये जाने थे :-

Sl No	Name of Project	Updated Cost (Rs. In Lacs)
1	Flood protection scheme on right bank of Solani river from villages Ibrahimpur to village Rampur (Jadeed) District Haridwar.	250.39
2	Construction of Margina Bund on Both Bank of Solani River From NH-58 (Solani river bridge) to village Jalalpur, Distt. Haridwar	3070.87
योग		3319.49 lakh

योजना का प्रोजेक्ट-1 वर्ष 2015-16 में पूर्ण कर लिया गया। आगे अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया की प्रोजेक्ट-2 के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु रुपए 379.64 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमे 05 किमी में 10.75 हेक्टेयर की भूमि अधिग्रहित की जानी थी तथा earth-work एवं 118 स्पर लगाए जाने हेतु मैसर्स वी0 एस0 बिल्डकोन के साथ रुपये 2313.31 लाख का अनुबंध संख्या 04/SE/2013-14 गठित किया गया जिसके अंतर्गत कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ती की तिथि क्रमशः 04/03/14 तथा

03/03/2015 निर्धारित थी। उक्त कार्य इकाई द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्रदान करने के पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया गया था जो नियमों के विरूद्ध था।

पुनः अभिलेखो की जांच में पाया गया कि इकाई को शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के मध्य तक रुपये 3153.76 लाख की धनराशि प्रदान की जा चुकी थी इसके उपरांत भी उक्त कार्य पूर्ण नही किया जा सका तथा रुपये 1999.66 लाख की धनराशि समर्पित की गयी। इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में भूमि मुवावजे की सर्किल दरों में वृद्धि होने तथा किसानों द्वारा बढ़े हुए दरों पर मुवावजे की मांग किए जाने की वजह से भूमि अधिग्रहण न हो पाने का हवाला देते हुए 06/2020 में उक्त योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया।

प्रोजेक्ट-2 का कार्य वर्ष 2015-16(78 स्टड एवं 0.954 किमी टो-वाल पूर्ण) के बाद से अवरूद्ध था तथा प्रोजेक्ट-02 पर रुपये 846.64 का व्यय किए जाने के बावजूद भी योजना का लाभ प्रभावित लोगों को नही मिल सका। उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता सिचाई खंड रूडकी (हरिद्वार) द्वारा अवगात कराया गया कि नदी के कुछ भाग में 78 स्पर लगाए गए है जो भूमि सुरक्षा हेतु अपना कार्य कर रहे हैं किन्तु अधिग्रहण हेतु काश्तकारों द्वारा सर्किल दरों से के चार गुना की मांग करने के कारण योजना को वर्तमान स्थिति में बंद किए जाने का निर्णय लिया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योकि वित्तीय नियमों एवं उत्तराखंड शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए था एवं यदि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की गई होती तो काश्तकारों द्वारा बढ़े हुए दरों पर मांग नही की जाती साथ ही इकाई का यह उत्तर भी अमान्य था कि लगाए गए 78 स्परों लाभ लोगों कि मिल रहा है क्योकि स्पर का पूर्ण लाभ तभी मिल पाएगा जब उसके साथ बांध भी बनाए जाये जिस हेतु भूमि अधिग्रहण आवश्यक था ।

अतः रुपये 846.69 लाख का व्यय होने के बावजूद भी योजना का लाभ लाभार्थियों न मिल पाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-2 : केंद्र पुरोनिधानित योजना हेतु भूमि अधिग्रहण में रु 90.47 लाख का अनियमित व्यय एवं इस व्यय पर रु 34.34 लाख की अधिकता।

निर्माण व विकास कार्यों से संबन्धित शासनादेश (अक्टूबर-2010) के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा पहले प्रस्तावित निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का आकलन तथा प्रक्रियात्मक कार्यों जैसे वन भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण आदि हेतु आगणन पर सैद्धांतिक प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रक्रियात्मक कार्यों पर वित्तीय स्वीकृति ली जाएगी तथा इस स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण कार्य कदापि प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। प्रक्रियात्मक कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण किए जाने के उपरांत ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत आगणन पर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

सिचाई खंड, रुड़की की केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं से संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया की दैवीय आपदा/सी०एस०एस० पुनर्निर्माण (CSSR) मद के अंतर्गत रु॰ 1249.00 लाख की एक योजना **"हरिद्वार जनपद के भगवान पुर विकास खंड में ग्राम बहावपुर, छंगामाजरी की सोलानी नदी से कटाव सुरक्षा योजना"** की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई थी (मार्च-2014) एवं योजना पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी) की 14 वीं बैठक द्वारा रु 1249.00 लाख का अनुमोदन दिया गया था। और योजना की तकनीकी स्वीकृति द्वारा रु 1236.34 लाख की प्रदान की गई थी (अगस्त 2014)। इस योजना की धनराशि में 90% अंशदान केंद्र का एवं 10% अंशदान राज्य सरकार का है। इस योजना में 5.50 किमी तटबंध एवं बोल्डर पिचिंग तथा 282 स्पर बनाने का कार्य होना था। योजना पर वर्ष 2014-15 445.00 लाख, वर्ष 2015-16 में रु 20.00 लाख, वर्ष 2016-17 में रु 95.55 लाख और वर्ष 2017-18 में रु 233.16 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी और कुल आवंटन रु 793.71 के सापेक्ष इतना ही व्यय किया गया था।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि योजना के स्वीकृत प्राक्कलन/डीपीआर में भूमि अधिग्रहण का प्रविधान नहीं किया गया था। जबकि योजना स्वीकृत के तुरंत बाद ही मार्च/जुलाई-2014 में अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता से भूमि अधिग्रहण हेतु मुवावजा के प्राक्कलन को स्वीकृत हेतु भेजा गया था। जिसमें मुख्य अभियंता द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को शामिल कर योजना को पुनरीक्षित कर स्वीकृत कराये जाने को कहा गया था (अगस्त-2014)। इसी बीच इकाई द्वारा अधीक्षण अभियंता के रु 969.07 लाख के अनुबंध 10/एसई/2014-15 से मई- 2014 से तटबंध एवं स्पर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर मई-2016 तक रु 603.68 लाख के कार्य कराये गये और नवम्बर-2017 मे अधीक्षण अभियंता के आदेश से अनुबंध का अंतिमिकरण किया गया। तथा अनुबंध के 14वें एवं अंतिम बिल का भुगतान फरवरी-2018 में किया गया। और मार्च-2018 मे अधीक्षण अभियंता की संस्तुति पर 23 खसरों की 1.9396 हेक्टेयर भूमि हेतु मुआवजे की राशि रु 90.47 लाख का प्राक्कलन मार्च 2018 में इकाई द्वारा स्वीकृत किया गया और पूर्ण धनराशि का वितरण इसी माह में किया गया। और शेष धनराशि का व्यय कंटिन्जेंसी, सहायक अभियंता स्तर के अनुबंध से कार्य एवं अन्य व्यय किए गये थे एवं स्वीकृत भौतिक प्रगति के सापेक्ष 3.30 किमी तटबंध, 1.42 किमी पिचिंग बोल्डर और 202 स्पर का कार्य पूर्ण किया गया था। तथा धनावंटन के अभाव में अप्रैल-2018 से योजना बंद पड़ी हुई है। इसप्रकार मूल स्वीकृत प्राक्कलन में भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजे

की राशि के स्वीकृत न होने के वावजूद योजना के स्वीकृत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि से इकाई द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत कर मुआवजे के रूप में रु 90.47 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। जबकि शासनादेश के अनुसार पहले भूमि अधिग्रहण के प्राक्कलन को स्वीकृत करा-कर भूमि का अधिग्रहण करने के बाद योजना को स्वीकृत एवं क्रियान्वित कराया जाना था।

उक्त के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि अधिग्रहण हेतु भूमि, तकनीकी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक दिनांक 25-06-2016 द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, **एक-** भूमि अधिग्रहण हेतु जो संशोधित प्राक्कलन तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया है उसमें योजना की मूल स्वीकृत कार्य लागत (Work Cost) रु 1236.24 लाख को रु 1080.10 लाख तक कम करके सिविल कार्यों की राशि को मुवावजे की राशि से कम किया गया है। और योजना कार्य क्षेत्र[1] (Scope) को कम किया गया है जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। **दो-** तकनीकी समिति ने संशोधित योजना को इस शर्त पर अनुमोदित किया था कि इसे भारत सरकार/केंद्रीय जल आयोग/गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जाय। अनुमोदन संबंधी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। **तीन-** मूल स्वीकृत योजना केंद्र पुरोनिधानित (Centrally Sponsored) है और भूमि अधिग्रहण संबंधी विषय राज्य का होने के कारण मुवावजे की राशि राज्यों द्वारा वहन की जानी चाहिए। और **चार-** अक्टूबर-2010 के शासनादेश के अनुसार योजना स्वीकृत न कराये जाने के कारण वितरित किये गये मुवावजे में रु 34.34 लाख का अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

भूमि अधिग्रहण हेतु मुवावजे की राशि के वितरण हेतु राजस्व ग्राम भगवानपुर जदीद, शाहपुर जदीद और बहावपुर छंगामाजरी की क्रमशः 1.7147 हेक्टेयर, 0.1625 हेक्टेयर, 0.0624 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जनवरी-2018 से प्रभावित प्रति हेक्टेयर सर्किल दरों क्रमशः रु 25.00 लाख, रु 25.00 लाख एवं रु 15.00 लाख का 1.80 गुना से मुवावजे का भुगतान किया गया था। जबकि मूल स्वीकृत प्राक्कलन के समय प्रति हेक्टेयर सर्किल दरें क्रमशः रु 15.00 लाख, रु 15.00 लाख एवं 10.00 लाख थी। इसप्रकार राजस्व ग्राम भगवानपुर जदीद में रु 10.00 लाखX 1.7147X 1.80 गुना = रु 30.86 लाख, शाहपुर जदीद में रु 10.00 लाखX 0.1625X1.80 गुना= रु 2.92 लाख और बहावपुर छंगामाजरी में रु 5.00 लाखX0.0624X1.80 = रु 0.56 लाख अर्थात कुल रु 34.34 लाख का अधिक व्यय किया गया।

अतः केंद्र पुरोनिधानित योजना हेतु भूमि अधिग्रहण में रु 90.47 लाख का अनियमित व्यय एवं इस व्यय पर रु 34.34 लाख की अधिकता का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] **तटबंध: 5.50 किमी के स्थान पर 3.90 किमी किये गये और इतनी ही बोल्डर पिचिंग और स्पर 282 के स्थान पर 290 किये गये।**

STAN

प्रस्तर-1: प्रतिभूति धनराशि रु. 938724.00 तथा विविध जमा शीर्ष में रु. 11459.00 का समायोजन न होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 622 में प्रावधानित है कि “In the accounts for March each year, the following classes of items in the Public Works deposit account should be carried to the revenues of the State or the Central Government as lapsed deposits—

(i) original deposits for central work not exceeding one rupee and deposits for State works not exceeding five rupee, unclaimed for one whole account year.

(ii) balances not exceeding one rupee of items party cleared during the year then closing ;

(iii) balances unclaimed for more than three complete account year.

For the purpose of this rule the age of a repayable item, or of a balance of it to be reckoned as dating from the time when the item or the balance as the case may be, become first repayable.”

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुड़की (हरिद्वार) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माह अगस्त 2020 में Form-79-Schedule of Deposit के भाग-II ठेकेदारो की प्रतिभूति धनराशि शीर्षमें रु. 938724.00 तथा भाग-V विविध जमा शीर्ष मेंरु. 11459.00की धनराशि असमायोजित्त पड़ी थी जिसका समायोजन लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था। प्रतिभूति धनराशि इकाई के पास कब से असमायोजित पड़ी हुई थी, से संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि ठेकेदारों द्वारा उल्लेखित सिक्योरिटी की मांग न किए जाने के कारण असमायोजित है हांलांकी शीघ्र ही असमायोजित पड़ी सिक्योरिटी को समायोजन की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त कितने समय से उक्त धनराशि असमायोजित पड़ी थी, किन-किन ठेकेदारों की थी व इकाई द्वारा इसके समायोजन हेतु क्या प्रयास किए गए? से संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः प्रतिभूति धनराशि रु. 938724.00 तथा विविध जमा शीर्ष में रु. 11459.00 का समायोजन न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	**प्रस्तर संख्या**		
	भाग II `अ`	**भाग II `ब`**	**STAN**
AIR 48/2008-09	-	01	-
AIR 39/2013-14	-	01	-
AIR 110/2015-16	-	01,02	-
AIR 55/2017-18	-	01	01
AIR93/2018-19	-	01,02	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

प्रतिवेदनसंख्या	प्रस्तर 2A	प्रस्तर 2B	प्रस्तर STAN	अभियुक्ति
AIR 48/2008-09	-	01	-	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।
AIR 39/2013-14	-	01	-	
AIR 110/2015-16	-	01,02	-	
AIR 55/2017-18	-	01	01	उक्त दोनों प्रस्तरों को अद्यतन किया गया है अतः एआईआर-55/2017-18 के दोनों प्रस्तरों को निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है।
AIR93/2018-19	-	01,02	-	इकाई की अनुपालन आख्या के आधार पर प्रस्तर भाग दो “ब” 01 एवं 02 को निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………. शून्य ……………………………….

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

अप्रस्तुत अभिलेख: -।

2). सतत् अनियमितताएःशून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री अतर सिंह बिष्ट	अधिशासी अभियंता	08.01.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार)को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून-248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I